

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 1976/भाद्र 8, 1898

No. 286] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 1976/BHADRA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 30th August 1976

G.S.R. 770(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 110/74—Central Excises, dated the 10th July, 1974, the Central Government hereby fixes for woollen yarn, specified in column (2) of the Table hereto annexed and chargeable with the duty *ad valorem*

under Item No. 18B of the First Schedule to the said Act, the tariff value specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

THE TABLE

Serial No.	Description	Tariff Value
(1)	(2)	(3)
		Rs. per kg.
1.	(a) Worsted yarn other than hand knitting yarn of 48s counts and above—	
	(i) Grey	125.00
	(ii) processed and/or dyed or spun from dyed wool	147.50
	(b) Worsted yarn other than hand knitting yarn of 32s counts and above but below 48s counts—	
	(i) Grey	110.00
	(ii) processed and/or dyed or spun from dyed wool	132.50
	(c) Worsted yarn other than hand knitting yarn of above 24s counts but below 32s counts—	
	(i) Grey	77.50
	(ii) processed and/or dyed or spun from dyed wool	95.00
	(d) Worsted yarn other than hand knitting yarn of 24s counts and below—	
	(i) Grey	65.00
	(ii) processed and/or dyed or spun from dyed wool	77.00
2.	Woollen yarn, containing not more than five per cent of virgin wool, commonly known as shoddy	18.00
3.	Woollen yarn made from tannery or stripped wool	20.00
4.	All others, not otherwise specified (excluding hand knitting worsted yarn, all sorts)—	
	(i) Grey	30.00
	(ii) processed and/or dyed or spun from dyed wool	37.50 :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to such variety of yarn mentioned against Serial No. 4 which is manufactured from natural black or natural grey or from both of inferior quality, used in the manufacture of barrack/inferior/coarse blankets.

[No. 235/76]

G. S. MAINI, Under Secy.

राजस्व और बंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1976

सांकांनि० 770 (घ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार

के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 110/74-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 10 जुलाई, 1974 का अधिष्ठापित करने हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18ख के अधीन मूल्यानुसार शुल्क से प्रभाव्य ऊनी सूत के लिए, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	टैरिफ मूल्य
(1)	(2)	(3)
		रु० प्रति किलो
1.	(क) 48 एस काउण्ट और उससे अधिक का हाथ से बुने सूत से भिन्न वस्टेड सूत—	
	(i) घूसर	125.00
	(ii) प्रसंस्कृत और/या रंगा हुआ या रंगे हुए ऊन से काता हुआ	147.00
	(ख) 32 एस काउण्ट और उससे अधिक का किन्तु 48 एस काउण्ट से कम का हाथ से बुने सूत से भिन्न वस्टेड सूत—	
	(i) घूसर	110.00
	(ii) प्रसंस्कृत और/या रंगा हुआ या रंगे हुए ऊन से काता हुआ	132.50
	(ग) 24 एस काउण्ट से अधिक किन्तु 32 एस काउण्ट से कम का हाथ से बुने सूत से भिन्न वस्टेड सूत—	
	(i) घूसर	77.50
	(ii) प्रसंस्कृत और/या रंगा हुआ या रंगे हुए ऊन से काता हुआ	95.00
	(घ) 24 एस काउण्ट और उससे कम का हाथ से बुने सूत से भिन्न वस्टेड सूत—	
	(i) घूसर	65.00
	(ii) प्रसंस्कृत और/या रंगा हुआ या रंगी हुई ऊन से काता हुआ	77.00
2.	ऊनी सूत, जिसमें पांच प्रतिशत से अधिक अप्रसंस्कृत ऊन हो, जो सामान्य-तया शीड़ी के नाम से ज्ञात है	18.00
3.	नी धागा जो टैनरी या निष्कर्षित ऊन से बना है	20.00

(1)	(2)	(3)
		रु० प्रति किलो
4. अन्य सभी, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है (सभी प्रकार के हाथ से बुने बस्टेड सूत को छोड़कर)—		
(क) घूसर		30.00
(ख) प्रसंस्कृत और/या गा हुआ या रंगे हुए ऊन से काता हुआ		37.50

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात क्रम सं० 4 के सामने उल्लिखित ऐसे प्रकार के सूत को लागू नहीं होगी जो निम्नतर क्वालिटी के प्राकृतिक काले या प्राकृतिक घूसर या दोनों से विनिर्मित है, और बैरक/निम्नतर/मोटे कम्बलों के बनाने में प्रयोग में लाया जाता है।

[सं० 235/76]

जी० एस० मैगी, अवर सचिव।

(Revenue Wing)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 30th August 1976

G.S.R. 771(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 111/74—Central Excises dated the 10th July, 1974, the Central Government hereby exempts woollen yarn falling under Item No. 18-B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof:

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3)
1.	Worsted yarn other than hand knitting yarn—	
	(A) Hair belting yarn	Nil
	(B) Others—	
	(i) of 48s counts and above—	
	(a) Grey	Twenty-one and a half per cent <i>ad valorem</i> .
	(b) processed and/or dyed or spun from dyed wool	Twenty-two per cent <i>ad valorem</i> .
	(ii) of 32s counts and above but below 48s counts—	
	(a) Grey	Ten per cent <i>ad valorem</i> .

(1)	(2)	(3)
	(b) processed and/or dyed or spun from dyed wool . . .	Eleven per cent <i>ad valorem</i> .
	(iii) of above 24s counts but below 32s counts—	
	(a) Grey	Six per cent <i>ad valorem</i> .
	(b) processed and/or dyed or spun from dyed wool . . .	Seven and a half per cent <i>ad valorem</i> .
	(iv) of 24s counts and below—	
	(a) Grey	Three and a half per cent <i>ad valorem</i>
	(b) processed and/or dyed or spun from dyed wool . . .	Four and a half per cent <i>ad valorem</i> .
2.	Woollen yarn containing not more than 5 per cent of virgin wool, commonly known as shoddy.	Seven and a half per cent <i>ad valorem</i> .
3.	Woollen yarn made from tannery or stripped wool	Seven and a half per cent <i>ad valorem</i> .
4.	All others, not otherwise specified (excluding worsted hand knitting yarn all sorts)—	
	(a) Grey	Ten per cent <i>ad valorem</i> .
	(b) processed and/or dyed or spun from dyed wool . . .	Ten per cent <i>ad valorem</i> .

Nothing contained in this notification shall apply to worsted yarn not made from wool tops.

[No. 236/76]

(राजस्व पक्ष)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1976

सां० का० नि० 771(घ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 111/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 जुलाई, 1974 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18ख के अधीन आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के ऊनी सूत को उस पर उद्ग्रहणीय उतने शुल्क से छूट देती है जितना कि उसके स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है :—

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	हाथ से बुने सूत से भिन्न वर्स्टेड सूत	
	(क) हैयर बैल्टिंग सूत	कुछ नहीं

(1)

(2)

(3)

(ख) अन्य—

(i) 48 एस तथा अधिक काउण्ट का—

(क) धूसर मूल्य का साढ़े क्वीस प्रतिशत

(ख) प्रसंस्कृत और / या रंगा हुआ या रंगे हुए
ऊन से काता हुआ मूल्य का बाईस प्रतिशत(ii) 32 एस काउण्ट तथा अधिक का किन्तु 48 एस
काउण्ट से कम का—

(क) धूसर मूल्य का दस प्रतिशत

(ख) प्रसंस्कृत और / या रंगा हुआ या रंगे ए
ऊन से काता हुआ मूल्य का ग्यारह प्रतिशत(iii) 24 एस काउण्ट से अधिक किन्तु 32 एस काउण्ट
से कम—

(क) धूसर मूल्य का छः प्रतिशत

(ख) प्रसंस्कृत और / या रंगा हुआ या रंगे
हुए ऊन से काता हुआ मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत

(iv) 24 एस काउण्ट तथा उससे कम का—

(क) धूसर मूल्य का साढ़े तीन प्रतिशत

(ख) प्रसंस्कृत और / या रंगा हुआ या रंगे हुए
ऊन से काता हुआ मूल्य का साढ़े चार प्रतिशत

2. ऊनी सूत, जिसमें पांच प्रतिशत से अनधिक अप्रसंस्कृत ऊन हो,
जो सामान्यतया शैडी के नाप से जात है मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत
3. ऊनी सूत जो टनरी या निष्कर्षित ऊन से बना है मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत
4. अन्य सभी, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं—

(सभी कार के हाथ से बुने) वर्स्टेड सूत को छोड़कर—

(क) धूसर मूल्य का दस प्रतिशत

(ख) प्रसंस्कृत और / या रंगा हुआ या रंगे हुए ऊन से
काता हुआ मूल्य का दस प्रतिशत

इस अधिसूचना की कोई भी बात ऐसे वर्स्टेड सूत को लागू नहीं होगी जो ऊन टाप से बना हुआ नहीं है ।

G.S.R. 772(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts worsted woollen hand knitting yarn, falling under item No. 18B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twenty per cent *ad valorem*:

Provided that in respect of worsted woollen hand knitting yarn held in stock by a manufacturer on 30th August, 1976 and cleared on or after that date, a set off to the extent of excise duty already paid on wool tops falling under Item No. 43 of the said Schedule, shall be allowed if it is proved to the satisfaction of the proper officer that the yarn was manufactured out of duty-paid wool tops.

[No. 237/76]

सा० का० नि० 772(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 ख के अधीन आने वाले वर्स्टेड ऊनी हाथ से बुने हुए सूत को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जो मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु किसी विनिर्माता द्वारा 30-8-76 तारीख को स्टॉक में रखे गए वर्स्टेड ऊनी हाथ से बुने सूत के सम्बन्ध में जिसकी निकासी उस तारीख को या उसके पश्चात् की जाती है उक्त अनुसूची की मद सं० 43 के अधीन आने वाले ऊन टाप पर पहले ही संदत्त उत्पाद-शुल्क की रकम तक मुजरा की जाएगी यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सूत शुल्कसंदत्त ऊन टाप में से विनिर्मित किया गया था ।

[सं० 237/76]

G.S.R. 773(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts wool tops, falling under Item No. 43 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, if used in the manufacture of worsted woollen hand knitting yarn falling under item No. 18B of the said Schedule—

(a) within the factory of production, to the satisfaction of the proper officer; or

(b) in any other factory, provided, that the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[No. 238/76]

सा० का० नि० 773(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 43 के अन्तर्गत आने वाले ऊन टाप को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है यदि उसका उपयोग उक्त अनुसूची की मद सं० 18 ख के अधीन आने वाले वर्स्टेड ऊनी हाथ से बुने सूत के विनिर्माण में—

(क) उत्पादन कारखाने के भीतर समुचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप से किया जाता है ; अथवा

(ख) किसी अन्य कारखाने में किया जाता है परन्तु यह तब जब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

[सं० 238/76]

G.S.R. 774(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.

[No. 239/76]

N. OBHRAI, Under Secy.

सां कां नि० 774(प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975, को विखण्डित करती हैं।

[सं० 239/76]

एन० ओबराय, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976